राजस्थान विश्वविद्यालय
University of Rajasthan

क्रमांकः–एफ–9/सा.प्र./179/2020/ दिनांकः

कार्यालय – आदेश

गृह विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.33 (2) गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक 31.05.2020 एवं कुलसचिव महोदय के आदेश दिनांक 11.06.2020 की अनुपालना में सूचित किया जाता है कि लॉकडाउन अवधि दिनांक 01 जून, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए लॉकडाउन के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय में निम्न गतिविधियों पर पूर्णतयाः प्रतिबंध हैः–

1. नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी, संविदाकर्मी एवं शैक्षणिक संघ को सूचित कर लेख है कि आपके संघ एवं किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई धरना प्रर्दशन/हडताल नही की जाये। आपके संघ एवं किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लिखित में कुलपति/कुलसचिव महोदय को सूचित करें नियमानुसार आपकी शिकायत का निवारण अवश्य किया जावेगा।
2. राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में धारा 144 लागू की गई एवं सभी सामाजिक/राजनैतिक/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाऐं एवं सामूहिक आयोजन अग्रिम आदेशों तक पूर्णतयाः निषिद्ध है।
3. यदि आपके संघ एवं किसी कर्मचारी द्वारा धरना प्रर्दशन/हड़ताल की जाती है तो राजस्थान सरकार के गृह विभाग के COVID-19 के संदर्भ में समय–समय पर जारी आदेशों का उलंघन होगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

कुलसचिव
दिनांक : 11/6/2020

क्रमांक : एफ–9/सा.प्र./179/2020/15805-905
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. श्रीमान उपायुक्त पुलिस जयपुर–पूर्व, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर।
2. वृत अधिकारी, गांधी नगर पुलिस थाना, बापू नगर, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार।
4. विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी अधिकारी/समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक इकाईयाँ, रा.वि.वि.,जयपुर।
5. प्राचार्य,महाराजा महाविद्यालय/महारानी महाविद्यालय/कॉमर्स महाविद्यालय/राजस्थान महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय (प्रातः एवं सायं), रा.वि.वि.,जयपुर
6. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि.,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
7. मुख्य कुलानुशासक/मुख्य आवासाधिकारी/आवासाधिकारी रा.वि.वि.,जयपुर।
8. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रा.वि.वि.,जयपुर।
9. वित्त नियन्त्रक व वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियन्त्रक, रा.वि.वि.,जयपुर।
10. समस्त चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य केन्द्र, रा.वि.वि.,जयपुर।
11. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी ,रा.वि.वि.,जयपुर।
12. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय उद्यान कार्यालय/विश्वविद्यालय प्रेस, रा.वि.वि.,जयपुर।
13. विश्वविद्यालय अभियन्ता, रा.वि.वि.,जयपुर।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि.,जयपुर।
15. रक्षित पजिका।

(डॉ. एम.सी.गुप्ता)
उप कुलसचिव (सा.प्र.)